ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवम उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-H(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रवि चन्द कटोच	4/2013 से 22.1.2016
2	श्रीमती वीना देवी	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती उर्मिला देवी	4/2013 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत बारी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	बैंक खातों का रोकड़ बहियों से मिलान न करना	–
2	7	अनुदानों का उपयोग न करना	16.17
3	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	0.46

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.16 से 29.10.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न माहों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	7/2013	1/2014
2014–15	3/2015	8/2014
2015–16	2/2016	8/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना के गलत/अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। इस राशि ₹6000 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 29.10.16 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत बारी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	15286	48486	63772	33577	30195
2014–15	30195	32920	63115	13548	49567
2015–16	49567	35533	85100	27484	57616

(ख) अनुदानः–

ग्राम पंचायत बारी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण, संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	677577	1244921	1922498	1118257	804241
2014–15	804241	1377098	2181339	1048759	1132580
2015–16	1132580	1837353	2969933	1353007	1616926

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

1	स्व स्त्रोत रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	57616
2	अनुदान रोकड़ बही का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	1616926
	कुल योग	**₹1674542**
	विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि का विवरण	
1	खाता संख्या 88050100018719 (HGB-Bhawarna)	81274
2	खाता संख्या 5448 (Canara Bank)	68691
3	खाता संख्या 20093004031 (KCCB-Bhawarna)	2197337
4	खाता संख्या 50056874074 (KCCB Bhawarna)	2278
5	खाता संख्या 50057815029 (KCCB Bhawarna)	41638
6	खाता संख्या 50058851022 (KCCB Bhawarna)	42594
7	MANREGA	शून्य
	कुल योग	**₹2433812**
	अन्तर	**₹759270**

अन्तर का कारणः– (1) दिनांक 1.3.2016 को खाता संख्या 20093004031 में चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान ₹600863 जिसे रोकड़ बही में दिनांक 28.4.16 को लिया गया।

(2) उक्त राशि के अतिरिक्त अन्तर ₹158407 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित किया जाये।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, सकंर्म, कराधान तथा भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के विरूद्ध होते हुए अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण देते हुए रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान सुनिश्चित किया जाये।

5 बजट प्राकलन (अनुमान) तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म 11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व की वसूली बारेः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की "शून्य" वसूली शेष थी।

1 **गृहकरः–**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	9720	15360	25080	18600	6480
2014–15	6480	15360	218040	13490	8350
2015–16	8350	15500	23850	23850	–

7 अनुदान ₹16.17 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–I)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1616926 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कर व भत्ते) नियम–2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं, परन्तु चयनित मासों के व्यय अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न क्रयों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	विवरण	आपूर्तिकार का नाम तथा बिल
1	15 माह 1/14 (सामान्य रोकड़ बही)	भवन निर्माण सामग्री	मै0 जगदम्बा स्टील, बिल संख्या 2419 दिनांक 28.1.14 ₹7500
	16 माह 1/14	–यथोपरि–	मै0 जगदम्बा स्टील, बिल संख्या शून्य दिनांक
2	20 माह 8/14 (सामान्य रोकड़ बही)	–यथोपरि– (क्रेट वायर)	प्रताप इण्डस्ट्रीज डमटाल बिल संख्या 846 दिनांक 26.11.13 ₹35145

अतः सामग्री का नियमानुसार क्रय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

10 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

12 **निष्कर्षः–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 68/2016–खण्ड–1–1934–1937 दिनाँकः 31.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.